

मांग संख्या 25
मुख्य शीर्ष 2853

मद क्रमांक 1

मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण क्रमांक 19/2012 श्रीमती श्यामा देवी विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन, में माननीय उच्च न्यायालय में दर्ज प्रकरण हेतु आकस्मिकता निधि से ` 4.50 लाख का अग्रिम स्वीकृत किया गया है।

अतः उक्त स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ` 4,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

छत्तीसगढ़ खनिज विकास निधि से विभिन्न विकास कार्यों हेतु (डीजीपीएस एवं 2 डिल मशीन के क्रय) ` 220.00 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।